

अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं. 14036/460/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय


नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 16/7/2013

कार्यालय जापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री राजकुमार यादव द्वारा मांगी गई सूचना के बारे में।

अधोहस्ताक्षरी को लोक सूचना अधिकारी दिल्ली पुलिस से अंतरित होकर इस अनुभाग में प्राप्त दिनांक 1.6.2013 के आपके आर टी आई आवेदन का उल्लेख करने का निदेश हुआ है। चूंकि इस लोक प्राधिकारी के पास आपके आर टी आई आवेदन के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई करने तथा ऊपर उल्लिखित आवेदक को सीधे सूचना प्रदान करने के लिए इसे निदेशक (एस) को अंतरित किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोपरि




(एस. सुधा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
एवं अवर सचिव (डी पी-11)

दूरभाष: 23092856

सेवा में


श्री एस.के. जैन, निदेशक सेवाएं,
नॉर्थ ब्लॉक, गृह मंत्रालय


16/7/2013

90

प्रति सूचनार्थ प्रेषित:

1. श्री राजकुमार यादव, निवासी ई-710, मोती नगर, नई दिल्ली- इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।


16/7/13